

असम-मेघालय सीमा विवाद

प्रलम्बित के लिये:

असम-मेघालय सीमा विवाद, संविधान का अनुच्छेद 263

मेन्स के लिये:

अंतर-राज्यीयसीमा विवाद और संबंधित मुद्दे तथा आगे की राह ।

चर्चा में क्यों?

21 जनवरी, 2022 में को मेघालय राज्य के 50वें स्थापना दिवस समारोह से पूर्व, गृह मंत्री द्वारा असम-मेघालय सीमा के छह क्षेत्रों में विवाद को समाप्त करने के लिये अंतिम समझौते पर मुहर लगाए जाने की उम्मीद है ।



प्रमुख बटु

■ असम-मेघालय सीमा विवाद के बारे में:

- असम और मेघालय दोनों राज्य 885 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं । फलिहाल उनकी सीमाओं पर 12 बटुओं पर विवाद है ।
- असम-मेघालय सीमा विवाद ऊपरी ताराबारी, गजांग आरक्षित वन, हाहमि, लंगपीह, बोरदुआर, बोकलापारा, नोंगवाह, मातमुर, खानापारा-पलिंगकाटा, देशदेमोराह ब्लॉक I और ब्लॉक II, खंडुली और रेटचेरा के क्षेत्रों पर हैं ।
- मेघालय को असम पुनर्गठन अधिनियम, 1971 के तहत असम से अलग किया गया, यह कानून जैसा मेघालय द्वारा चुनौती दी गई विवाद का कारण बना ।

■ विवाद का प्रमुख बटु:

- असम और मेघालय के बीच विवाद का एक प्रमुख बटु असम के कामरूप ज़िले की सीमा से लगे पश्चिमि गारो हिल्स में लंगपीह ज़िला है ।
- लंगपीह ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान कामरूप ज़िले का हिस्सा था, लेकिन आज़ादी के बाद यह गारो हिल्स और मेघालय का हिस्सा बन गया ।

- असम इसे मकिरि पहाड़ियों (असम में स्थिति) का हस्सिा मानता है ।
- मेघालय ने **मकिरि हलिस** के ब्लॉक । और ॥ पर सवाल उठाया है, जो अब कार्बी आंगलॉग क्षेत्र असम का हस्सिा है । मेघालय का कहना है कथिे तत्कालीन यूनाइटेड खासी और जयंतिया हलिस ज़िलों के हस्सिे थे ।
- **वविादों को सुलझाने के पर्यास:**
 - असम और मेघालय दोनों ने सीमा वविाद नपिटान समतियिों का गठन कथिा है ।
 - सीमा वविादों को चरणबद्ध तरीके से हल करने के लथिे दो क्षेत्रीय समतियिों का गठन करने का नरिणय लथिा गया है और सीमा वविाद को हल करते समय पाँच पहलुओं पर वचिार कथिा जाएगा ।
 - वे ऐतहिसकि तथय, जातीयता, परशासनकि सुवधिा, संबंघति लोगों की मनोदशा और भूमिसे नकिटता हैं ।
 - पहले चरण में छह स्थलों पर वचिार कथिा जा रहा है । ये **ताराबारी, गजिांग, हाहमि, बकलापारा, खानापारा-पलिगिकाटा और रातचेरा** हैं ।
 - ये वविादति क्षेत्र असम की तरफ कछार, कामरूप मेट्रो और कामरूप ग्रामीण तथा मेघालय की तरफ पश्चमि खासी हलिस, री भोई ज़िलिे व पूरवी जयंतिया हलिस का हस्सिा हैं ।
- **असम और सीमा मुद्दे:**
 - **पूरवोत्तर के राज्य बड़े पैमाने पर असम से जुड़े हुए हैं,** जसिका कई राज्यों के साथ सीमा वविाद है ।
 - अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड के साथ असम के सीमा वविाद **सरवोच्च नयायालय** में लंबति हैं ।
 - **मजोरम के साथ असम के सीमा वविाद** फलिहाल बातचीत के जरयिे समाधान के चरण में हैं ।
- **वभिन्न राज्यों के बीच अन्य सीमा वविाद:**
 - **बेलागवी सीमा वविाद** (कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य)
 - **ओडिशिा सीमा वविाद**

आगे की राह

- राज्यों के बीच सीमा वविादों को वास्तवकि सीमा स्थानों के उपग्रह मानचित्रण का उपयोग करके सुलझाया जा सकता है ।
- अंतरराज्यीय संवाद (Inter State Dialogues) **अंतरराज्यीय परिषद** (Inter State Councils) और अधकिरण में वचिार-वमिर्श तथा इस प्रकार के वविादों को सुलझाने हेतु सहकारी संघवाद की भावना को अपनाने की आवश्यकता है ।
 - संवधिान के अनुच्छेद 263 के तहत, अंतर-राज्य परिषद से वविादों की जांच और सलाह देने, सभी राज्यों के लथिे सामान्य वषियों पर चर्चा करने और बेहतर नीति समन्वय के लथिे सफिरारशिें करने की अपेक्षा की जाती है ।
- इसी तरह, प्रतयेक क्षेत्र में राज्यों के लथिे सामान्य चतिा के मामलों पर चर्चा करने हेतु क्षेत्रीय परिषदों को पुनर्र्जीवति करने की आवश्यकता है- सामाजकि और आर्थकि योजना, सीमा वविाद, अंतर-राज्य परविहन आदिसे संबंघति मामले ।
- भारत अनेकता में एकता का प्रतीक है । हालाँकि इस एकता को और मज़बूत करने के लथिे केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को सहकारी संघवाद के लोकाचार को आत्मसात करने की आवश्यकता है ।

स्रोत- द हट्टि